न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 88/2019

1 बनवारीलाल पुत्र भगवानाराम।
2 रणजीत सिंह पुत्र भगवानाराम।
3 चुन्नीलाल पुत्र भगवानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण तिपन्या की ढ़ाणी तन बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सवाईसिंह पुत्र सुरजाराम।
2 गजानन्द पुत्र भोलूराम।
3 बजरंगलाल पुत्र भोलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण तिपन्या की ढ़ाणी तन बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 भू–धारक जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व
आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़
बउनवानी बनवारीलाल आदि बनाम सवाई सिंह आदि
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 54/2017
पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार के निर्णय दिनांक
29.08.2019 को निरस्त करने व अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द करने बाबत।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री पोखरमल भींचर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 54/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट के खिलाफ न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दांतारामगढ़ एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया व उसके साथ टी.आई. आवेदन मुकदमा नम्बर 54/2017 भी पेश किया गया जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2019 को भूमि खसरा नम्बर 2261/2132 रकबा 1.50 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2262/2132 रकबा 2.0000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.50 हैक्टेयर वाके ग्राम तिपन्या की ढ़ाणी पटवार हल्का बानुड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा करने सींव नीव तोड़ फोड़ करने पेड़ पौधे काटने खुर्द बुर्द कर मौका परिवर्तन करने नया रास्ता कायम करने कब्जा में दखल अन्दाजी करने हेतु रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये थे तथा रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया दिनांक 29.08.2019 को अपीलांट्स के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का काउन्टर आवेदन स्वीकार कर अपीलांट्स को अपनी खातेदारी भूमि में मौका व रिकार्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर दिये है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की विवादित भूमि शामिलाती कृषि भूमियां व पैत्रिक भूमि कभी नही रही उक्त भूमियां अपीलांट को बक्सीसनामा से प्राप्त हुई है अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की पैत्रिक कृषि भूमियां अलग है उक्त भूमियों का विवादित भूमि खसरा नम्बर 2261/2132 रकबा 1.50 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2262/2132 रकबा 2.00 हैक्टेयर वाके ग्राम तिपन्या की ढ़ाणी तन बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि से कोई तालुक नही है। अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स पुरानी पिढ़ियो से सैकड़ो साल पहले एक ही दादा की सन्तान है तथा काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पहले से ही अपीलांट्स का दादा का परिवार अलग था अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के पूर्वजो ने विवादित भूमियो पर कभी शामलाती में काश्त नही की उक्त भूमियां अपीलांट्स के पूर्वज की खरीदशुद्वा भूमियां थी उक्त भूमियों में रेस्पोडेंट्स के पूर्वजो का कोई सहयोग नही था अपीलांट्स के पूर्वजो ने अपनी स्वअर्जित आय से भूमि कय की थी कयतिथि से कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड अपीलांट्स के पूर्वजो के नाम से चला आ रहा है तथा अपीलांट्स के पिता द्वारा बक्सीस करने पर ग्राम पंचायत ने कब्जा काश्त की जांच करके नामान्तकरण अपीलांट्स के पक्ष में स्वीकृत किया गया तथा अपीलांट्स ने अपनी भूमियों पर बैंक के रहन रखकर ऋण प्राप्त किया बैंक अधिकारियों ने कब्जा काश्त की जांच करके ऋण स्वीकृत किया उन सभी तथ्यों से तथा राजस्व रिकार्ड से तथा मौका स्थिति से स्पष्ट साबित है कि विवादित भूमि अपीलांट्स के खातेदारी अधिकार कब्जा काश्त की है उसके पश्चात भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य सबूत के रेस्पोडेंट्स का काउन्टर आवेदन स्वीकार करके भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का बिन्दुवार विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की खातेदारी हेमा के देहान्त के पश्चात उसके वारिस भगवानाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज हो गई तथा गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाते हुए भगवानाराम ने प्रार्थीगण के हक में अवैध बक्सीसनामा दिनांक 17.03.2016 को निष्पादित एवं पंजिकृत करवा दिया तथा उसके आधार पर खातेदारी गलत रूप से प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है, जबकि कब्जा, काश्त पिछले 25 वर्षो से सुरजा, भोलू व उसके वारिसो का ही चला आ रहा है। हिन्दु विधि एवं हिन्दु उत्तराधिकार में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विवादित भूमियां हेमा, सुरजा, भोलू पुत्रगण रामू के संयुक्त परिवार के धन व श्रम से अर्जित सम्पदाएं है, केवल मात्र परिवार का मुखिया होने की वजह से अकेले हेमा के नाम पंजिकृत करवाया गया था उसके आधार पर खातेदारी उसके अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चलती रही। हेमा के देहान्त के पश्चात खातेदारी उसके पुत्र भगवाना के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गई तथा भगवानाराम द्वारा करवाये गये अवैध बक्सीसनामा के आधार पर प्रार्थीगण के नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चली आ रही है। जबकि नियमानुसार विवादित भूमियों के खाते 1/3 हिस्सा हेमा के वारिसों 1/3 हिस्सा सुरजा के वारिसों तथा 1/3 हिस्सा भोलू के वारिसों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होनी चाहिए। पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के पश्चात होना शेष है। इससे पूर्व वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2018–19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(Supp) पेज 531, आर.आर.टी. 2019(2) पेज 896 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट का कथन रहा है कि विवादित भूमि की खातेदारी हेमा के देहान्त के पश्चात उसके वारिस भगवानाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज हो गई तथा गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाते हुए भगवानाराम ने प्रार्थीगण के हक में अवैध बक्सीसनामा दिनांक 17.03.2016 को निष्पादित एवं पंजिकृत करवा दिया तथा उसके आधार पर खातेदारी गलत रूप से प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है, जबकि कब्जा, काश्त पिछले 25 वर्षो से सुरजा, भोलू व उसके वारिसो का ही चला आ रहा है। हिन्दु विधि एवं हिन्दु उत्तराधिकार में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विवादित भूमियां हेमा, सुरजा, भोलू पुत्रगण रामू के संयुक्त परिवार के धन व श्रम से अर्जित सम्पदाएं है, केवल मात्र परिवार का मुखिया होने की वजह से अकेले हेमा के नाम पंजिकृत करवाया गया था उसके आधार पर खातेदारी उसके अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चलती रही। हेमा के देहान्त के पश्चात खातेदारी उसके पुत्र भगवाना के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गई तथा भगवानाराम द्वारा करवाये गये अवैध बक्सीसनामा के आधार पर प्रार्थीगण के नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चली आ रही है। जबकि नियमानुसार विवादित भूमियों के खाते 1/3 हिस्सा हेमा के वारिसों 1/3 हिस्सा सुरजा के वारिसों तथा 1/3 हिस्सा भोलू के वारिसों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होनी चाहिए। पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के पश्चात होना शेष है। इससे पूर्व वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2018–19 (Supp) पेज 531 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया गया है कि " Rajasthan Tenancy Act, 1955- Section 212- Temporary injunction- Application dismissed - Title and rights of the parties shall be decided in the suit - preserving the property till the disposal of the suit is justified - Held, parties shall maintain the status quo at the spot and in the revenue record.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अत अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर